



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/100/2021-525

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 24/07/2023

विषय- श्री मैटु कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर मौजा के खाता संख्या-1154, 2317, खेसरा संख्या-6839, 6840, थाना संख्या-62, थाना-अकबरनगर, अंचल-सुल्तानगंज में SH-85 अकबरनगर-शाहकुण्ड पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/144838/2021/1212, दिनांक 22.06.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 11.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 22.06.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,65,161.00 (रु० आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270144838159, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH23186754507 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01425 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.02025 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,395/- (उन्नीस हजार तीन सौ पंचानबे रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270144838159, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH23186754507 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/100/2021- **525**

दिनांक— **24/07/2023**

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर एवं श्री मैटु कुमार, पिता—श्री भेदी यादव, ग्राम—बसंतपुर, पोस्ट+थाना—अकबरनगर, जिला—भागलपुर, पिन—813223 को सूचना हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Bhagalpur/ Bhagalpur Forest Division, Bhagalpur.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Maintu Kumar/HPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.02025 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	22.06.2023				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	8,65,161.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	19,395.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	UCBAH23186754507	19,395/-	NPV
		2		dt. 05.07.2023	8,65,161/-	CA
		Total-			8,84,556/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 05.07.2023				
12	Any other remarks					

(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



दिनांक=11/07/2023

विषय— श्री मैटु कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत अकबरनगर मौजा के खाता संख्या—1154, 2317, खेसरा संख्या 6839, 6840 थाना संख्या—62 थाना—अकबरनगर, अंचल—सुल्तानगंज में SH-85 अकबरनगर—शाहकुण्ड पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/100/2021-473 दिनांक 30.06.2023
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/144838/2021/1212, दिनांक 22.06.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/— मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.02025 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,395/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23186754507 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

सैंटु कुमार

मैंटु कुमार,

पिता-श्री भेदी यादव,

ग्राम-बसंतपुर, पोस्ट+थाना-अकबरनगर

जिला-भागलपुर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-07-2023

Agency Name.	MAINTU KUMAR
Application No.	70144838159
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/144838/20
Location.	BIHAR
Address.	Maintu Kumar S/o Sri Bhedi Yadav Vill Basantpur PO+PS Akbarnager District BhagalpurBhagalpur
Amount(in Rs)	884556/-

Amount in Words : Eight Lakh Eighty-Four Thousand Five
Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270144838159 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through c
even after 7 working days, then kindly mail a copy
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

UCBAH23186754507

Sauhr
05/07/23





बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर
सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन - 812003
ई-मेल - dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक : - 189

भागलपुर, दिनांक : - 03 / 02 / 2023

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा०व०से०"
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
सह - नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :- FRA 2006 प्रमाण - पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक - 300, दिनांक - 20/01/2023 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी श्री मैटु कुमार, मौजा - अकबरनगर, थाना - अकबरनगर, थाना सं० - 62, खाता सं० - 1154 एवं 2317, खेसरा / प्लॉट नं० - 6839 एवं 6840, रकबा (हे०) - 0.02025, अंचल - सुल्तानगंज, जिला - भागलपुर द्वारा HPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण से संबंधित FRA 2006 प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उक्त प्रमाण - पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु०: - यथोक्त।

विश्वासभाजिस

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

32

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री मैटु कुमार, मौजा-अकबरनगर, थाना-अकबरनगर, थाना सं०-62, खाता सं०-1154 एवं 2317, खेसरा/प्लॉट नं०-6839 एवं 6840, रकबा (ह०)-0.02025, अंचल-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर द्वारा HPCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-980 दिनांक-27.10.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) बिहार पटना के पत्रांक-627 दिनांक-08.07.2022 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक-4841/सा०, दिनांक-31.12.2022 के द्वारा जौंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

तदआलोक में अंचल अधिकारी, सुलतानगंज एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

ज्ञापांक.....300...../सा०, भागलपुर, दिनांक 20/01/2023

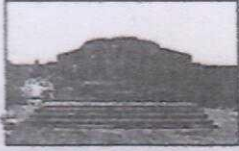
- प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०
जिलाधिकारी,
भागलपुर।

जिलाधिकारी,
भागलपुर।

TO FCA

28/1/23



अनुमण्डल कार्यालय, सदर, भागलपुर
सामान्य शाखा



पत्रांक- 4841/सा0

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, भागलपुर।

सेवा में,

वरीय उप समाहर्ता,
जिला सामान्य शाखा,
भागलपुर।

भागलपुर, दिनांक- 31 दिसम्बर, 2022

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम-1980 अंतर्गत वन अपयोजन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-3651/सा0, दिनांक-04.09.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक-3912/सा0, दिनांक-18.10.2022 एवं अंचलाधिकारी, सुलतानगंज का पत्रांक-2836 दिनांक-19.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी, सुलतानगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर, भागलपुर।

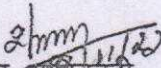
कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के तहत रैखिक निर्माण हेतु
FRA, 2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

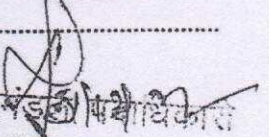
संख्या- दिनांक-

अंचल अधिकारी, सुलतानगंज का पत्र सं०-2836 दिनांक-19.11.22 द्वारा
प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना क्षेत्र में थाना-अकबरनगर, थाना सं०-62,
खाता सं०- 1154 एवं 2317 खेसरा सं०- 6839 एवं 6840 से SH-85
अकबरनगर-शाहकुण्ड पथ के किनारे HPCL/BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने
हेतु वन भूमि (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 0.02025 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2001
एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली
भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि
के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गावों में वर्ष 2001 एवं 2011
की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

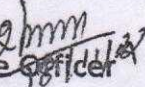

अंचल अधिकारी,
.....

अनुमण्डल पदाधिकारी
.....

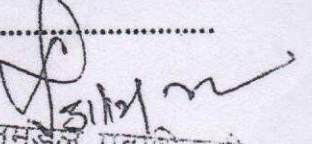

अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर
19/11/22
31/11/22

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation
which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of
December 2005 and is located in villages having no recorded population of
Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.


Circle Officer
.....

Sub divisional Officer
.....


अनुमण्डल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर
19/11/22